न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,द्वितीय्,सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।

हसनपुर थाना काण्ड सं0 228/19,कम्पयूटर निबंधन सं0 1322/19

15.11.19 आवेदक **1. अषोक महतो,** जो हसनपुर थाना काण्ड सं0 228/19, धारा–30(a), 37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 3.11.19 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेष प्रसाद सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई षराब बरामद नही किया गया है और न ही उसने किसी प्रकार के षराब का सेवन ही किया है। तथाकथित बरामद षराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुष्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दिनांक 3.11.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेष देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–30(a), 37(c)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गष्ती के क्रम में आवेदक अभियुक्त को घटनास्थल पर षराब पिये अवस्था में पकड़ा गया जिसकी तलाषी लेने पर उसके पास से दो लीटर देषी षराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। चिकित्सक द्वारा जॉच करने पर अभियुक्त द्वारा षराब पीने की पुष्टि की गयी। आवेदक दि0 3.11.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, बरामद देषी षराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राषि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेष दिया जाता है। एक जमानतदार अभियुक्त का निकटतम सबंधी होगा तथा आवेदक इस आषय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निष्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद